

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:- 45/2018 (18 आयुध अधिनियम 1959)

रामखिलाडी पुत्र सांवलराम जाति मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
(राज0)अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोंडैन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर दिनांक 4.2.2015 शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या
231/187/वीएल

उपस्थिति:-

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांक: 14.3.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 4.2.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टि स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सम्पादन कराने की दृष्टि से कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने आदेश क्रमांक न्याय/9356-9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 3.1.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये गये थे। जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया था एवं उक्त के संबध में पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.1.2015 के द्वारा जमा नहीं कराए गये शस्त्रों को जमा कराने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सूचना देने के उपरान्त भी शस्त्र अनुज्ञाधारी/अपीलान्ट द्वारा अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज हथियार को थाने में जमा नहीं कराने का उल्लेख किया गया। इस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट क्रमांक 1141 दिनांक 31.1.2015 के आधार पर तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलाधीन आदेश में अंकित सूची क्रम संख्या 1 लगायत 23 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिये गये है। अपीलाधीन आदेश में अंकित

सूची के क्रम संख्या 2 पर अपीलान्त का नाम अंकित है । इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्त द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलाधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्त का कथन है कि अपीलान्त का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है साथ ही समय समय पर अनुज्ञापन अधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपीलान्त द्वारा पालना की जाती रही है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि अपीलान्त को तहत अदालत के शस्त्र जमा कराने के आदेश की जानकारी होते ही तत्काल अपने शस्त्र को संबधित थाने में दिनांक 28.1.2015 को ही जमा करा दिया गया था बतौर साक्ष्य जमा रसीद पुलिस थाना टोडाभीम की प्रति तहत अदालत के समक्ष पेश भी की गई थी तथा इस अपील के साथ भी संलग्न की गई है। वर्तमान में अपीलान्त का शस्त्र आज भी संबधित थाने में जमा है। संबधित थाने द्वारा इस बाबत पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट नहीं भेजने के कारण पुलिस अधीक्षक ने अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित करने की सिफारिश कर दी। यदि तहत अदालत द्वारा सभी वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करती तो सभी न्यायिक तथ्य उनके समक्ष प्रकट हो जाते किन्तु तहत अदालत ने न तो अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिया गया न ही शस्त्र थाने में जमा किये जाने के तथ्य की वास्तविकता को जानना उचित समझा और एक ही आदेश से सूची बना कर अनुज्ञाधारियों के लाईसेंस निरस्त कर दिये गये जिसमें क्रम संख्या 2 पर अपीलान्त का नाम भी अंकित करते हुये अपीलान्त का नियमानुसार जारी अनुज्ञापत्र वेवजह निलम्बित कर दिया गया है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के भी प्रतिकूल है। जबकि न तो अपीलान्त ने शस्त्र का दुरुपयोग किया है न ही अपीलान्त के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमें पंजीबद्ध है फिर भी अपीलान्त का अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया गया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिना सुनवाई अनिश्चितकाल के लिये शस्त्र को निलम्बित नहीं किया जा सकता उसके लिये एक निश्चित अवधि खोलना आवश्यक है ताकि इस अवधि में अनुज्ञापत्रधारी चाराजोही कर अपना पक्ष पेश कर सके, लेकिन तहत अदालत ने अपीलान्त को ऐसा कोई मौका नहीं देते हुये एकतरफा में अनिश्चित काल के लिये अपीलान्त का अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया गया है जो आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के प्रतिकूल है इसलिए अपीलाधीन आदेश कानून के परिपेक्ष्य में न होकर मनमाने ढंग से बिना किसी आधार के पारित किया गया आदेश है जो काबिले मंसूखी है। अपीलाधीन आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नहीं है। जिससे यह

साफ है कि अपीलान्त को न तो सुना गया न ही उसके वहाँसियत अनुज्ञापत्रधारी के मापदण्डों का परीक्षण किया गया न ही ऐसी कोई वजह स्पष्ट हो सकी जिससे अपीलान्त के अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया जा सके। अपीलाधीन आदेश अपीलान्त की बैंक पर पारित किया गया आदेश है इसलिए अपीलान्त को इसकी जानकारी ही नहीं थी। दिनांक 16.1.2018 को जिला मजिस्ट्रेट करौली के कार्यालय में सम्पर्क करने पर प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थी ने तत्काल नकल के लिये आवेदन किया। दिनांक 15.2.2018 को नकल मिली तदोपरान्त वकील से सम्पर्क किया व दस्तावेजों की पूर्ति कर यह अपील होने की जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। जिसके लिये पृथक से दफा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय 4.2.2015 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोंडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। वास्तविकता यह है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टी स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सम्पादन कराने की दृष्टी से कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने आदेश क्रमांक न्याय/9356-9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 3.1.2015 से पूर्व संबधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये गये थे। जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया था एवं उक्त के संबध में पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.1.2015 के द्वारा जमा नहीं कराए गये शस्त्रों को जमा कराने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सूचना देने के उपरान्त भी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी/अपीलान्त द्वारा अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज हथियार को थाने में जमा नहीं कराने का उल्लेख किया गया। इस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट क्रमांक 1141 दिनांक 31.1.2015 के आधार पर तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलाधीन आदेश में अंकित सूची क्रम संख्या 1 लगायत 23 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिये गये हैं। अपीलाधीन आदेश में अंकित सूची के क्रम संख्या 2 पर अपीलान्त का नाम अंकित है। अपीलान्त द्वारा शस्त्र जमा न कराया जाकर अनुज्ञापत्र अधिकारी के आदेशों की अवहेलना की है जो आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों की भी अवहेलना है इसलिए तहत अदालत द्वारा चूंकि कलक्टर

एवं जिला मजिस्ट्रेट एक प्रशासनिक अधिकारी भी है और पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टी स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सम्पादन कराने की दृष्टी से जिन अनुज्ञापत्रधारियों ने निर्धारित अवधि में शस्त्र जमा नहीं कराये उनके ही अनुज्ञापत्र अपीलाधीन आदेश से निलम्बित किये गये है जो न्यायसंगत है। अन्त में सहायक लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2015 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा-5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:-

“Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants”

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि-
“Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal”

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था के मध्यनजर शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को जरिये समाचार पत्र अपने शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिये थे। अपीलान्त द्वारा नियत समय में शस्त्र जमा नहीं कराने की रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञा पत्र निलम्बित कर दिया गया है। अपीलान्त का कथन है कि उन्होने अपने शस्त्र का दुरुपयोग नहीं किया, न ही उनके विरुद्ध कोई मुकदमा ही विचाराधीन है और तहत अदालत के हर आदेश की पालना करते हुये इस आदेश की भी पालना की गई है। तहत अदालत के आदेश की पालना में ही दिनांक 28.1.2015 को पुलिस थाना टोडाभीम में अपीलान्त के द्वारा लाईसेंसी हथियार को जमा करा दिया गया था जो आज भी संबधित थाने में ही जमा है। प्रकरण में अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना नहीं पाया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। यदि तहत अदालत अपीलान्त को समुचित सुनवाई का अवसर देती तो वह अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत रख सकता

था । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया जाना जाहिर है। जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा तत्कालीन कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। वर्तमान में चूंकि परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है। अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण (केवल अनुज्ञापत्र संख्या 231/एसडब्लूएम/187/बीएल अनुज्ञापत्रधारी रामखिलाडी पुत्र सांवलराम मीणा निवासी ऐंदलपुर के संबध में) पुनः प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.3.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official